उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-03/2018/एस-2-15/दस-2017-88क(12)/2017टी0सी0
लखनऊ :: दिनॉक:: 03 जनवरी, 2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

तत्काल प्रभाव से श्री मनीष शुक्ला, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रबन्ध एवं प्रशासन अकादमी, लखनऊ को, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान उ0प्र0 लखनऊ के अतिरिक्त पदभार से मुक्त करते हुए वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान उ0प्र0 लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री श्रीनिवास त्रिपाठी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को बिना किसी अतिरिक्त वेतन भत्ते के प्रदान किया जाता है।

2- श्री त्रिपाठी को निदेशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं निदेशक, कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

हरिश्चन्द्र
उप सचिव।

<u>संख्या-03/2018/एस-2-15(1)/दस-2017, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, भाषा/सूचना विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- महानिदेशक, उ0प्र0 प्रबन्ध एवं प्रशासन अकादमी, लखनऊ
3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, हिन्दी संस्थान/सूचना उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- संबंधित अधिकारी ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in